<u>उल्लंघन सह कारण बताओ नोटिस</u>

jft- ,-Mh-@bl&esy

Hkkjr ljdkj
[kku e=ky;
Hkkjrh; [kku C;wjks
{ks=h; [kku fu;a=d dk;kZy;
f}rh; ry] th0 ,l0 vkbZ0 QhYM Áf'k{k.k dsUnz] egkys[kkdkj dk;kZy; ifjlj]
iksLV&fo/kkulHkk] jk;iqj&492005 ¼NÙkhlx<½
Qksu ,oa QSDl&0771&2282530] 2285590@95 bZ&esy% ro.raipur@ibm.gov.in

---

No- CHG/DRG/LST-17/RPR **खान कोड- 38CHG05016** fnukad%&**27.12.2021**

प्रेषिति-

श्री टिकेंद्र चंद्राकर, पट्टेदार,
कबीर नगर, वार्ड नंबर -21,
गांव-कुकड़ा, तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़,पिनकोड-490042
ई-मेल: - blramani7@gmail.com

बिसय: छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके पिटोरा चुनापथर खदान 1.99 हैक्टर में खनिज संरक्षण एबं बिकास नियमाबली 2017 एबं 2021 के नियमों के संबंध में |

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 13/11/2021 को ईस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री भक्तु लाल रमणी, अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता कि उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एबं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया हे |

fu;e	mYya?ku dk izdkj dk foLr`r C;kjk
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
45(5)(c)	In annual return for financial year 2020-21 following discrepancies are observed; i. At part-V (General Geology & Mining), updated reserves and resources at the end of the year are furnished incorrectly.
55	Part time Mining Engineer and Geologist have not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 **एबं संशोधित नियमावली** 2021 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत ।

(क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप च1,च2,च3 में मासिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा ।
(ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ग) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की **सिफारिश** राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **26(2) एबं 55** का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

04. अतःआपको यह **भी** निर्देष दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों **45(5)(c)** का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने के दिनांक से उपरोक्त दिवस के भीतर कारण बताए कि क्यो न (ख) खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जाए । (ग) आपके वीरुध अभियोग दायर किया जा सकता है । (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

भवदीय

(देवदुर्लव दास)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर–440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. **निदेशक ;(सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लाक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर-** 440001।

(देवदुर्लव दास)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर